22.11.24 প্ৰমাণী উপস্থিত। উকীল বাদীপক্ষ। সাক্ষ্যপ্ৰমাণ
লোৱা হ'ল, সেই সাক্ষী প্ৰমাণ গ্ৰহণ কৰা হ'ল। উকীল
বাদীপক্ষৰ দ্বাৰা ইতিপূৰ্বে জমা দিয়া হয়। বাদ নিৰ্দিষ্ট
কৰিবলৈ সাক্ষী আবেদন কৰা হয়। উক্ত
উকীল বাদী পক্ষই।
উক্ত প্ৰমাণী ক সাক্ষ্য পৰীক্ষা
কৰা হ'ল। বাদীপক্ষৰ সাক্ষ্য শেষ,
[illegible]
[illegible]

...बउनवान ............................ मुकदमा नं. ............................ ऑनलाईन नं.

...रा ............................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| | प्र० पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर दा.खा. किया जाता। |
| | पत्रावली बाद अमलदरामद की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। |

...न ............

सेवामें,

महोदय

दिनांक:-

महोदयजी

खाता सं

संलग्न ..

संशोधित

भू0अ0नि0

Scanned with OKEN Scanner

# राष्ट्रीय लोक अदालत –2024

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

## बईजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 28 / 2024
जीसीएमएस न :– 2024 / 47 दायरा दिनांक 20.06.2024

बउनवान

रामगोपाल नागर पुत्र मन्नालाल नागर जाति धाकड निवासी ग्राम हरीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा। – प्रतिवादी

उपस्थित :–

वादी की ओर से एडवोकेट श्री बाबूलाल नागर
प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार सांगोद

**दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट**

**निर्णय**

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 28.09.2024 को प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में तहसीलदार सांगोद की ओर से प्राप्त जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया। जवाब सरकार अनुसार वाद ने ग्राम हरीपुरा पटवार हलका दीगोद की आराजी खसरा न 136, 417, 437, 668 कुल किता 4 कुल रकबा 5.19 है में राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम गोपाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड सा देह के स्थान पर रामगोपाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड सा देह दर्ज करवाने हेतु वाद दायर किया है वादी का नाम आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र जनआधार कार्ड में नाम रामगोपाल दर्ज है रसीद संख्या या जनआधार संख्या में वादी का नाम रामगोपाल पुत्र मन्नालाल दर्ज है अतः वादी द्वारा स्वयं सिद्ध करने तथा वादी का मौके पर कब्जा काश्त होने पर राजस्व रेकार्ड में नाम गोपाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड सा देह के स्थान पर रामगोपाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड सा देह किये जाने मे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र एवं जवाब सरकार के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के अनुसरण में ग्राम हरीपुरा की आराजी खसरा न0 136, 417, 437, 668 कुल किता 4 कुल रकबा 5.19 है0 में राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्न लिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

| क्रसं | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान अशुद्ध प्रविष्टि | शुद्ध प्रविष्टि जो आदेश के पश्चात राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जानी है। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हरीपुरा तहसील सांगोद | 24 | गोपाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड हिस्सा संपूर्ण सा देह खातेदार | रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड हिस्सा संपूर्ण सा देह खातेदार |

निर्णय अनुसार अतिंम डिकी जारी की जावे। निर्णय आज दिनांक **28.09.2024** को राष्ट्रीय लोक अदालत 2024 में मजमे आम सुनाया गया।

रामावतार मीणा (आर0ए0एस0)

Scanned with OKEN Scanner